न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 81/2021

उनवान

1. घीसी पत्नी हुक्मा, (फौत तर्क)
2. गुमानी,
3. मानी,
4. रामलाल,
5. लक्ष्मणलाल,
6. लाली,
7. सुनील कुमार पि0 हुक्मा जाति भांबी नि0 चैनुपरा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. सोहनी पत्नी पांचूलाल,
2. कालूराम,
3. काली,
4. बलवीर उर्फ सांवर,
5. सुरेश उर्फ भाणू, पि0 पांचूलाल, जाति भांबी नि0 चनैपुरा, नसीराबाद,
6. रामदेव पुत्र पन्ना (पांची पुत्र पन्ना, जाति भांबी नि0 मोहमी, अजमेर,
7. हुली पुत्री पन्ना (पांची पुत्री पन्ना) जाति भांबी नि0 जाटिया, अजमेर,
8. गोपी पुत्र पन्ना जाति भांबी नि0 चैनपुरा हाल नि. राजकीय सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे, गणेशगंज कोटे की तलाई कोटा – अजमेर रोड सरवाड, अजमेर,
9. प्रेम देवी पत्नी मांगीलाल जाति भांबी नि0 चैनपुरा नसीराबाद,
10. लाली देवी पत्नी हरिराम,
11. भागचन्द पुत्र हरिराम जाति भांबी नि0 चैनपुरा हाल नि0 नयागांव ब्यावर, अजमेर,
12. पूरी पुत्री किशना पत्नी लालाराम जाति भांबी नि0 तबीजी, अजमेर,
13. टेमी पुत्री किशना पत्नी हनुमान जाति भांबी नि0 कालेसरा, पीसांगन,
14. सुवालाल,
15. रूपचन्द,
16. रमेश,
17. सत्यनारायण,
18. मीरा,
19. रेखा,
20. शीला पि0 पूसालाल जाति [illegible] सै0 स्कूल के पास पुराना बडगांव पो0 माखुपुरा, अजमेर,
21. कमला पुत्री जीवण पत्नी [illegible] राजगढ, अजमेर,
22. पार्वती पुत्री रामचन्द्र पत्नी किशोर पुत्र नाथु [illegible] भांबी नि0 सेटेलाईट [illegible]टल के पास वाली गली आर्दश नगर, अजमेर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

23. पूर्णिमा पुत्री रामचन्द्र पत्नी मनीष पुत्र सोहनी जाति भांबी नि. हटुंडी तिराहा के पास माखुपुरा, अजमेर, मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, राजगढ, अजमेर,
24. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 7, 10 से 12 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
25 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—28/3/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ की निम्न आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की कयशुदा है। जिसका चौसाला जमाबंदी, वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबदी अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
2918	3—5—10	3228	3—5—10	1297	0.11
				1298	0.02
				1299	0.03
				1300	0.16
				1301	0.13
				1302	0.08
2833	5—7—10	3145	5—7—10	1306	0.17
				1307	0.08
				1308	0.09
				1309	0.09
				1313	0.12
				1314	0.12
				1315	0.05
				1316	0.04
				1283	0.10
				1284	0.01
2836	2—16—10	3148	2—16—10	1310	0.10
				1311	0.09
				1303	0.12
				1312	0.12
2835	0—4—0	3147	0—4—0	1304	0.03
2834	0—5—0	3146	0—5—0	1305	0.04
2840	0—10—0	3152	0—10—0	1281	0.08
2838	0—5—0	3150	0—5—0	1286	0.04
2837	0—9—0	3149	0—9—0	1287	0.07

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ की उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर के तत्कालीन खातेदार सुवा पुत्र छीतर व लादू पुत्र जैराम जाति माली ने वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज पन्ना, बिरदा, हरजी, किाना, दूदा, हुक्मा व मन्ना का बराबर–बराबर प्रत्येक का 1/7 हिस्सा जरियें विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1961 को बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिया था। वंर्किग जमाबंदी बनाते समय उक्त आराजी के खातेदार नाथू पुत्र हरजी, गुलाब पुत्र दूदा, किशना पुत्र हुक्मा पि. रूघा का 1/3 हिस्सा, पन्ना पुत्र धन्ना व मांगी पत्नी बिरधा का 1/3 हिस्सा गलत अंकित कर दिया। आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज प्रत्येंक का 1/7 हिस्सा निहित है। किन्तु वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी बनाते समय आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज हुक्मा व केतागण के अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 23 का हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से गलत अंकित कर दिया गया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। आराजी मुतनाजा पर सभी खातेदार का हिस्सा विक्रय पत्र अनुसार सही अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 10 से 12 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ के चौसाला खसरा नम्बर 2918, 2833, 2836, 2835, 2834, 2840, 2838, 2837 की आराजी सुवा पुत्र छीतर व लादू पुत्र जैराम ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 07.08.1961 को वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज हरजी, किशना, दूदा, हुक्मा पि. रूघा, पन्ना व बिरधा पि. धन्ना व मन्ना पुत्र बालू को बैचान किया था। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर नाथू पुत्र हरजी, गुलाब पुत्र दूदा, किशना हुक्मा पि. रूघा 1/3 हिस्सा, पन्ना व बिरधा पि. धन्ना 1/3 हिस्सा व मन्ना पुत्र बालू 1/3 हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में अंकित है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा के केतागण हरजी, किशना, दूदा, हुक्मा पि. रूघा, पन्ना व बिरधा पि. धन्ना व मन्ना पुत्र बालू प्रत्येक का 1/7 हिस्सा निहित था। किन्तु विक्रय पत्र में प्रत्येक केत का 1/7 हिस्सा निहित होने का कोई अंकन नही है। विक्रय पत्र में अंकित समस्त केतागण आपस में सगे भाई नही है। केता हरजी, किशना, दूदा, हुक्मा पि. रूघा, पन्ना व बिरधा पि. धन्ना व मन्ना पुत्र बालू के पिता अलग–अलग है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक केता का 1/7 अंकन होने का कथन सिद्व नही होता है। विक्रय पत्र के अनुसार हरजी, किशना, दूदा, हुक्मा पि. रूघा का 1/3 पन्ना व बिरधा पि. धन्ना का 1/3 व मन्ना पुत्र बालू का 1/3 हिस्सा बनता है जिसके अनुसार वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में केतागण के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार भूमि सही रूप से अंकित की गयी है। वादीगण द्वारा समस्त केतागण का शजरा पेश नही किया है। भूमि के विक्रय पत्र में भी प्रत्येक का अंकित हिस्सा 1/7 दर्ज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज से हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

—4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ के खाता संख्या 162/150 किता 6 रकबा 0.53 व 161/149 किता 23 रकबा 1.65 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है।

पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

घीसी वगै. बनाम सोहनी वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 81/2021
पेश करने की दिनांक – 23.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई व नरेन्द्र सिंह राठौड व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ के खाता संख्या 162/150 किता 6 रकबा 0.53 व 161/149 किता 23 रकबा 1.65 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 3 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:36 IST
Reason: SelfAttested